Ok"ki % 40(vad % 02 (Qjojh % 2018(eY; % nl #lk,

सीटू मजदूर

वाम मोर्चा की जीत सुनिश्चित करो

शोषण व वंचना के विरुद्ध

व जनता के विकल्प के लिए

त्रिपुरा में एक चुनावी सभा में सीटू महासचिव तपन सेन

(रिर्पोट पृ० 05)

शोक संवेदना

कॉमरेड एन. एम. सुंदरम

सीटू के राष्ट्रीय सचिवमंडल की 26–27 दिसम्बर, 2017 को नई दिल्ली में हुई बैठक में, भारतीय मजदूर आंदोलन, विशेषकर बीमा मजदूरों के अनुभवी नेता कॉ० एन.एम.सुंदरम के निधन पर अपने शोक का इजहार किया। अस्सी वर्षीय कॉ. सुंदरम का 26 दिसम्बर, 2017 को चेन्नई में निधन हो गया।

कॉमरेड सुंदरम ने विभिन्न भूमिकाओं में ऑल इंडिया इंश्योरेन्स एम्पलाइज एसोसिएशन (ए आइ आइ ई ए) का नेतृत्व किया। वे 16 वर्षो तक इसके महासचिव व 6 वर्षो तक इसके अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने निजीकरण व नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के अन्य विनाशकारी प्रभावों के खिलाफ भारत की मेहनतकश जनता के संधर्ष में प्रमुख भूमिका अदा की। वे बहुत लिखने वाले व अच्छे वक्ता थे तथा उन्होंने नवउदार आर्थिक नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर कई लेख व पुस्तकें लिखीं थीं।

सीटू ने कॉमरेड सुंदरम को श्रद्धांजलि देते हुए उनके शोकग्रस्त परिवारीजनों व ए आइ आइ ई ए के उनके साथियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की।

कॉमरेड अजित सरकार

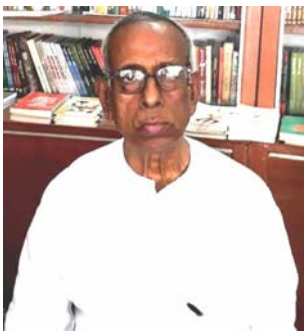

सीटू, उत्तर बंगाल में मजदूर वर्ग के अनुभवी नेता कॉमरेड अजित सरकार के निधन पर सदमे और दुख का इजहार करता है। वे 73 वर्ष के थे और उनका निधन 9 जनवरी को सिलीगुडी के एक अस्पताल में हुआ।

कॉमरेड अजित सरकार ने चाय बागान मजदूरों, विशेषकर दार्जिलिंग जिले की पहाड़ियों व उत्तरी बंगाल के अन्य हिस्सों में चाय बागान मजदूरों को संगठित करने में अग्रणी भूमिका अदा की। वे दार्जिलिंग के चाय बागान मजदूरों के निर्विवादित व प्रिय नेता थे। उन्होंने दशकों तक बागान मजदूरों के कितने ही संधर्षो का नेतृत्व किया था। उन्होंने राज्य में लगभग सभी संबद्धताओं के ट्रेड यूनियनों को संधर्ष के संयुक्त मंच में लाकर चाय बागान मजदूरों के आंदोलन को एकजुट करने में नेतृत्वकारी भूमिका अदा की थी।

कॉमरेड अजित सरकार ने दार्जिलिंग जिले में ट्रेड यूनियन आंदोलन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने तमाम दमन व हमलों का सामना करते हुए पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभायी। वे 2016 तक कई दशक तक सीटू कार्य समिति के सदस्य थे तथा सीटू की ऑल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन के संस्थापक पदाधिकारी थे।

कॉमरेड अजित सरकार अपनी युवावस्था की शुरूआत में ही कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हो गये थे तथा अपने निधन तक सी पी आइ (एम) की दार्जिलिंग जिला समिति के सदस्य थे।

सीटू सचिव मंडल ने उनके शोकसंतप्त परिवारीजनों व आंदोलन के उनके साथियों को अपनी हार्दिक संवेदना तथा दिवंगत नेता की याद में आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

कॉमरेड शांति रंजन बल

बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के जाने–माने नेता कॉमरेड शांति रंजन बल ने 87 वर्ष की आयु में बीमारी के चलते अस्पताल में 21 जनवरी को आखिरी सांस ली। उनके शरीर को चिकित्सकीय शोध के लिए दान कर दिया गया।

कॉमरेड एस. आर. बल ने यूको बैंक के कर्मचारियों का उनके महासचिव या अध्यक्ष के रूप में 1958 से तीन दशकों तक नेतृत्व किया तथा वे बेफी के संस्थापक नेता थे जिन्होंने यू एफ बी यू के गठन में मदद की थी। कॉमरेड बल अपने निधन तक सी पी आइ (एम) के सदस्य थे।

सीटू मजदूर

lhvkbVh;s dk e[ki=

फरवरी 2018

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

वाम मोर्चा की जीत सुनिश्चित करो 5

बवाना में आग से 17 मजदूरों की मौत 6

तय अवधि का रोजगार 7

उद्योग व क्षेत्र 9

ई एस आइ सी बैठक के प्रमुख फैसले 20

राज्यों से 21

आधार का भंडाफोड़ 24

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 26

सम्पादकीय

दो विरोधाभासी यथार्थ

bu fnuksa Hkkjr ds ykx nks fojks/kkHkklh lPpkbZ;ksa dk lkeuk dj jgs gSa A ,d] ç/kkueU=h ujsæ eksnh dk nkoksZ esa gks jgh oyZM bdkukfed Qksje esa Hkkx ysus ls] tgk¡ os Hkkjr esa /ku/kk djus dh vklkuh ¼bZt v,Q Mbx fctus½ dk c[kku djrs gq;s fon'kh dkjikjZV dEifu;ksa ds Lokxr ds fy, viuh Hkk"kk esa iyd iksMZ ¼jsM dkjiZV½ fcNkrs gq;s U;krk nsa jgs gSa A nsljk ;FkkFkZ jk"Vªh; jkt/kkuh {ks= ds chpksachp cokuk vk|kfxd {ks= esa gq;s gksus esa 17 etnwjksa dk ej tkuk gSa A

fon'kh dkjikjZVksa dks U;krk nsus ds fy, nksoksZ lfgr nfu;k Hkj esa vrjk"Vªh; epsZ ij ç/kkueU=h vkSj mudh foÙkeU=h ckj ckj Hkktik ljdkj ds os rhu cMs dne fxuk jgs gSa tks mlus 2016 ds vUr vkSj 2017 dh 'k#vkr esa mBk;s gSa A ftudh tfj;s og Hkkjr dh vFkZ0;oLFkk dks cgn rsth ls lkFk vukipkfjd ¼buQ,ey½ ls vkipkfjd ¼Q,ey½ esa cny nsus pkgrh gSa A ;s gSa ¼1½ ukVcanh vkSj vkfFkZd yuanu dk fMftVyhdj.k ¼2½ th,lVh vkSj ¼3½ cSadksa esa tek jkf'k ls tqMk ,Q vkSj Mh vkSj dkuu 2017- rhuksa os dne ftUgsa ykxw djus dh lykg vrjk"Vªh; foÙkh; iwath us nh Fkh A ;gh otg gSa fd ekuo fodkl lwpdkad vkSj cjktxkjh lfgr vusd ekeyksa esa MkokMksy gksus dh ls;ä jk"Vªh?k ¼;s,uvks½ vkSj vUrjk"Vªh; Je lxBu ¼vkbZ,yvks½ dh fjikVZ ls dk ckotwn vkbZ,e,Q vkSj fo'oca d of'od vFkZ0;oLFkk esa Hkkjr dh vkxs c<+us ds vuqeku crk dj eksnh ljdkj dks 'kg nsus esa yxs gSa A

nksoksZ ds viuh Hkk"k.k esa eksnh us cMs x:j ds lkFk bLiD'ku vkSj ykbZlsal jkt ds [kkRes ds Hkktik ljdkj }kjk ckj&ckj xk;s tkus okys nksoksZ dks nksgjk;k A Bhd ;gh otg gSa ftlds pyrs Je foHkkx vkSj vk|kfxd lq{kk ds bLiD'kUl cUn gks x,] ykbZlsal dh tkp [kRe gks x;h vkSj urhts esa n'k Hkj esa cokuk tSls vk|kfxd gksus vkSj etnwjksa dh ekSr gks jgh gSa A eksnh ljdkj us 4 ycj dkM çLrkfor fd;s gSa tks dkjikjZVksa ds /ku/kk dks vklku cukus ¼bZt v,Q Mbx fctus½ dh [kkfrj ekStwnk 44 Je dkuuksa dks gte dj tk;sxs A Hkktik dh dæ ljdkj ds lkFk&lkFk mlds jkT; ljdkjksa] ftuesa jktLFkku ljdkj igyh gS] iwath dh yV dks vklku cukus ds fy,] Je dkuuksa esa cgrjs ls'kks/ku dj pqdh gSa A buesa ls fdlh esa Hkh etnwjksa dh tku vkSj ftnxh dh fgQktr dk dkbZ çko/kku ugha gSa A

Hkkjr esa ls;ä etnwj vknksyu lkSj vkSj :i nksuksa ekeyksa esa le) gSa A fdUrq bldk ckotwn ;s fojks/kkHkklh eís etnwjksa dh chp uhps rd ugha igqp ik jgs gSa A tc rd etnwj oxZ lpsru :i ls bu ekeyksa esa mB [kMs ugha gksrk rc rd fdlh tuokns fodYi ds fy;s Hkkjr ds fdlkuksa vkSj vU; egurd'k fgLlksa dks ykecs djuk lEHko ugha gSa A lhVw dk tUe blh mÌs'; ds fy, gqvk FkkA mls bu eís dk etnwjksa rd ys tkuk gksxk] vU; lHkh egud'k rcdksa dks ykecs djuk gksxk rFkk etnwj oxZ ds ls;Dr vknksyu ds lkFk dkjokbZ esa vkxs c<+uk gksxk A

सीटू ने महाराष्ट्र में दलितों पर हमले की निंदा की

सीटू ने महाराष्ट्र में पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव की लड़ाई की द्विशताब्दी मना रहे दलितों पर हिन्दुत्ववादी शक्तियों के द्वारा 1 जनवरी को किये गये हमले की निंदा की। इस हमले में एक व्यक्ति मारा गया, 25 वाहनों को जला दिया गया व 50 वाहनों को नुकसान पहुँचाया गया। मीडिया रिपोर्टो व उपलब्ध वीडियों फुटेज में दिखाया गया कि भगवा झंडों व कमीजों वाले लोग नीले झंडे वाले लोगों व नीले निशान वाले वाहनों पर हमला कर रहे हैं। यह एक संगठित व सुनियोजित हमला था।

सीटू ने, हिंदुत्व ब्रिगेड के इस बर्बर कृत्य की निंदा करने व इसके विरोध में 3 जनवरी के सफल राज्य व्यापी बंद के लिए महाराष्ट्र की जनता को बधाई दी।

यह घटना, केन्द्र व राज्यों की भाजपा सरकारों पर; व दलितों तथा आदिवासियों पर आर एस एस नेतृत्व की शक्तियों के बढ़ते हमलों का एक और उदाहरण है। इन हमलों के शिकार अधिकतर लोग मजदूर वर्ग, खेत मजदूर, छोटे किसान व समाज के हाशिये के तबकों से हैं।

हिन्दुत्व की विचारधारा, नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ रही मेहनतकश जनता को बांटने के लिए शासक वर्गों की रणनीति के अनुकूल है।

सीटू, मजदूरवर्ग व अन्य धर्मनिरपेक्ष जनवादी तबकों से अपने जीवन व जीविका की हिफाजत के लिए लड़ रहे मेहनतकशों से आगे आने और हिन्दुत्ववादी शक्तियों की विभाजनकारी चालों को परास्त करने का आहवान करता है।

नोटिस

सीटू जनरल कौंसिल की बैठक

तारीख : 23–26 मार्च, 2018

समय : 23 मार्च सुबह 10 बजे से 26 मार्च की शाम तक

स्थान : कोझिकोड, केरल

कार्यसूची :

1. अध्यक्षीय भाषण;
2. महासचिव की रिपोर्ट;
3. भविष्य के संधर्षो की दिशा– संयुक्त आंदोलन व स्वतन्त्र पहलकदमी दोनों;
4. सीटू संविधान में संशोधन;
5. संगठन पर भुवनेश्वर दस्तावेज को अद्यतन करने के बारे में
6. अन्य कोई मुद्दे अध्यक्ष की अनुमति से

प्रतिनिधि शुल्क : रू० 1,000/– प्रत्येक प्रतिनिधि से

नोट :

1. अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की जनरल कौंसिल टियर की बैठक जी सी बैठक वाले स्थान पर ही 22 मार्च को सुबह 10 बजे से होगी। इस बैठक में ए आइ सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की राज्य इकाईयों के गैर– जी सी एस संयोजक भी हिस्सा लेंगें।
2. आने – जाने की यात्रा के टिकट अग्रिम बुक करा लें।
3. बैठक में भाग लेने वालों के यात्रा कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी स्वागत समिति को दें।

सम्पर्क :

स्वागत समिति : चेयरमैन : इलामारम करीम – फोन : 09400307786, जनरल कन्वीनर : पी के मुकुंदन– फोन : 09446782738, कोषाध्यक्ष टी दासन फोन : 09447721922

सीटू जिला समिति कार्यालय

एस के टेम्पल रोड, नजदीक ई एम एस स्टेडियम; कोझिकोड़– 373001

फोन : 0495– 2765507, ई मेल > Citukozhikode@yahoo.com

– तपन सेन

महासचिव

वामपंथ की आठवीं बार जीत सुनिश्चित करो !

त्रिपुरा में चुनाव रैलियों में सीटू महासचिव तपन सेन

सीटू के राष्ट्रीय महासचिव, संसद सदस्य और सीपीआई (एम) केंद्रीय समिति के सदस्य तपन सेन ने त्रिपुरा के उदयपुर उपखंड में माताबड़ी और जामजुरी में दो चुनाव मीटिंगों को संबोधित करते हुए 23 जनवरी को कहा कि वे देशभक्ति के नारे उठा रहे हैं, लेकिन देश को विदेशी पूंजी के हाथों बेच रहे हैं; वे जन–विरोधी नीतियों को अपना रहे हैं और भारत की जनता पर एक सत्तावादी शासन थोप रहे हैं; वे अपने अधिकारों और आजीविका के लिए लड़ रहे कामकाजी लोगों को बाँट रहे हैं; यह बीजेपी है, जो देश और उसकी जनता की दुश्मन हैं। वे त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार को हटाने की साजिश रच रहे हैं, जो तमाम सीमाओं के बावजूद भी जन समर्थक वैकल्पिक नीतियों पर काम करके देश में उदाहरण पेश कर रही है।

मंगलवार को, दक्षिण माताबाड़ी, माताबाड़ी, चंद्रपुर, चंद्रपुर कॉलोनी, चंद्रपुर गांव के प्रत्येक बूथ से हजारों लोग जुलूस में पहुंचे, अपने संघर्ष के अनुभव के साथ आत्मविश्वास के साथ अपने लाल झंडे को बढ़ाते हुए; माताबाड़ी शॉपिंग सेंटर मैदान में आयोजित वाम मोर्चा चुनाव रैली के लिए तपन सेन मुख्य वक्ता थे। इला चक्रवर्ती की अध्यक्षता में रैली को संबोधित करने वाले अन्य लोगों में माताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से वाम मोर्चा के सीपीआई (एम) के उम्मीदवार माधब साहा और सीपीआई (एम) उदयपुर उपमण्डल सचिव माणिक बिस्वास शामिल थे।

मुख्य वक्ता के रूप में तपन सेन ने उसी दिन जम्जूरी स्कूल मैदान में शिप्रा मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित अन्य चुनाव रैली को संबोधित किया। इस रैली को सीपीआई (एम) के उदयपुर उपमण्डल नेता नीती बिस्वास, इसकी लोकल कमेटी के सचिव चंद्रमोहन दास, आरएसपी नेता दीपक देब और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वाम मोर्चा के आरएसपी उम्मीदवार श्रीकांत दत्ता ने भी संबोधित किया था। इस चुनाव रैली के लिए इकट्ठे हुए हजारों लोग पलटाणा, पूर्वी पलटाणा, मुरापारा, दुधपुस्कारिनी और राजधर नगर क्षेत्र से आए।

इन रैलियों को संबोधित करते हुए तपन सेन ने कहा, भाजपा लूटपाट की पार्टी है। कांग्रेस की तरह भाजपा भी किसानों और मजदूर वर्ग का शोषण करने वालों के हितों की रक्षा करती है। भाजपा सरकार, भारत की समृद्ध विविधतावादी संस्कृति की रक्षा करने से मना करती है और बहुसंख्यक धर्म को औजार के रूप में उपयोग करके जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने वाली रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा देश को बर्बाद होने के रास्ते पर ले जा रही है; मजदूर रोजगार खो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे हालातों में भी त्रिपुरा और केरल के मजदूर और किसान वामपंथ शासित राज्यों में बेहतर परिस्थितियों में हैं। ये भाजपा को देश पर शासन करने में समस्या पैदा कर रहे हैं। इसलिए, एक छोटा राज्य होने के बावजूद त्रिपुरा में वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए साजिश रची गई है। वे बड़े पैमाने परा पैसे का वितरण करके लोगों को आकर्शित कर रहे हैं। शांतिपूर्ण त्रिपुरा परेशान हो रहा है। इन्होंने उन लोगों के साथ चुनावी समझौता किया जो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इसका विरोध किया जाना चाहिए

जब पूरे देश में, मजदूर और किसान रोजगार और अपनी आजीविका खो रहे है; त्रिपुरा में, सीमाएं होने के बावजूद नौकरियां तैयार की जा रही हैं, और 30 प्रकार के भत्ते प्रदान किए जा रहे हैं। मनरेगा गरीब लोगों के संघर्ष का नतीजा था। मोदी सरकार इसमें भारी कटौती कर रही है और इसे पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास कर रही है। त्रिपुरा सरकार अपने खजाने से धन मुहैया कर रोजगार प्रदान कर रही है। जब भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के मामले हैं, त्रिपुरा में मंत्रियों के भ्रष्टाचार का एक भी उदाहरण नहीं है। यह त्रिपुरा की जनता की प्रतिष्ठा है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए।

तपन सेन ने कहा, जिन नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया और तृणमूल के जरिए बीजेपी में शामिल हो गए, त्रिपुरा की जनता पहले के उनके खूनी शासन से भली–भाँति परिचित हैं। यही कारण है कि त्रिपुरा के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे आठवीं बार वाम मोर्चा सरकार की स्थापना करें;साजिश रचने वालों और आतंकवादियों व कट्टरपंथियों को पूरी तरह से अलग–थलग किया जाए। त्रिपुरा में हर घर को यह संदेश ले जाओ।

बवाना की आग ने 17 मजदूरों की जान ली

20 जनवरी को दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई में आग लग गई जिसमें 17 पुरुष और महिला मजदूरों ने अपनी जान गवां दी और 2 अन्य मजदूर गंभीर स्थिति में हैं। सीटू दिल्ली राज्य समिति के एक दल जिसमें राज्य सचिव अनुराग सक्सेना और सिद्धेश्वर शुक्ला, एच.सी. पंत, हरपाल सिंह, डी.एन. सिंह, सुनयना, राजेंद्र के साथ, स्थानीय एडवा नेता फरीदा ने अगले दिन 21 जनवरी को दुर्घटना स्थल का दौरा किया, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों से मुलाकात की और स्थानीय निवासीय और इस भयंकर घटना के कारणों पर जांच की।

सीटू की टीम ने मृतक मजदूरों के परिवार के सदस्यों से आस–पास की जगह उनके घरों में मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और अपने प्रिय लोगों की हत्या के लिए न्याय पाने और उनके रोटी कमाने वाले के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजे आदि में हर तरह की सहायता की पेशकश की।

अपनी जांच के आधार पर, सीटू की टीम ने दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री और श्रम आयुक्त को विभिन्न सरकारी एजेंसियों में व्यक्तियों की जिम्मेवारियों को तय करने के लिए समयबद्ध जांच की मांग करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया; क्षेत्र की अन्य औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण एवं अग्नि सुरक्षा लेखापरीक्षा और जानबूझकर लापरवाही के लिए अपराधी मालिकों के खिलाफ कार्यवाही; और प्रत्येक मृतक के रिश्तेदारों को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 5 लाख रुपये को बढ़ाकर कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत देय राशि के अलावा, 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।

सीटू की टीम ने पाया कि औद्योगिक इकाइयों के लाइसेंसों का खुला दुरुपयोग हुआ था; आग से सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा उपायों की पूरी कमी; श्रम कानूनों का गंभीर उल्लंघन और समय पर निरीक्षण की पूरी विफलता है।

औद्योगिक इकाई जहां आग की घटना हुई थी, का यह 100 वर्ग मीटर का प्लाट, मूल रूप से डायमंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के नाम पर एक सुभाष मित्तल को आवंटित किया गया था। उन्होंने एक संतोष गोयल को भवन किराए पर दिया, उसने मनोज जैन को दे दिया। यह भूखंड प्लास्टिक की ढलाई, एक गैर–खतरनाक काम की गतिविधि को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया था। लेकिन यह गैरकानूनी रुप से फटाखों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो एक बेहद खतरनाक गतिविधि है। इस औद्योगिक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर उद्योग हैं जिनमें प्रवेश करने का एक ही रास्ता हैं, ऐसी दुर्घटना के मामले में बाहर निकलने का कोई भी अन्य मार्ग नहीं हैं।

उस विशेष कारखाने में 35–40 कर्मचारी कार्यरत थे। उनमें से ज्यादातर यूपी के सीतापुर और उन्नाव जिले के प्रवासी मजदूर थे और कुछ बिहार के थे। उन में से लगभग सभी कारखाने में अभी हाल ही में शामिल हुए थे। घटना के समय, कथित तौर पर लगभग 27–28 मजदूर कारखाने के अंदर काम कर रहे थे। जैसे ही आग लगी, जो पुलिस वाले जल्द ही वहां पहुंचे, वो 7– 8 कर्मचारियों को बचाने में कामयाब रहे, फिर भी उनमें से 20 लोग अंदर रह गए और 17 मजदूर अपनी जान बचा नहीं सके। 4 मजदूरों को आग ने इस कदर जला दिया कि वो पहचाने ही न जा सके। अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इस इमारत में केवल एक ही प्रवेश और निकास का गेट था। छत के दरवाजे भी बंद थे।

हालांकि मालिक मनोज जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत आरोप लगाया गया है, इस तरह के दुखद घटना के लिए जिम्मेदार कई एजेंसियां इसमें शामिल हैं:–

- डी.एस.आई.आई.डी.सी., जो भूखंड को आवंटित करता है और क्षेत्र के विकास के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
- उत्तर दिल्ली नगर निगम जो भवन योजना को मंजूरी देता है और व्यापार लाइसेंस जारी करता है।
- फायर विभाग जो अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देता है। अग्निशमन निरीक्षकों को नियमित अंतराल पर परिसर का निरीक्षण करना चाहिए।
- राज्य श्रम विभाग के अंतर्गत कारखानों का निरीक्षक जो कारखाने का लाइसेंस जारी करता है। श्रम निरीक्षकों को अंतराल पर निरीक्षण करना चाहिए।

सीटू की टीम ने पाया कि प्रत्येक मजदूर को अधिसूचित न्यूनतम वेतन का उल्लंघन करते हुए केवल रु० 5000–रु० 6000 प्रति माह ही मिल रहा था उनका कोई पीएफ या ईएसआई कवरेज नहीं था। मोटे तौर पर श्रम कानूनों का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा था।

अन्य कारखानों के मजदूरों ने भी यह बताया कि आग की घटना इस क्षेत्र में आम बात है। इस औद्योगिक क्षेत्र से अकेले 2017 में ही अग्निशमन विभाग द्वारा 436 से अधिक कॉल पंजीकृत किए गए थे। उद्योगों के 90% मालिकों के पास अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं हैं और आग सुरक्षा व्यवस्था के बिना ही चल रहे हैं।

– अनुराग सक्सेना

स्थायी रोजगार की जगह 'तय कार्यकाल वाला रोजगार'

मसविदा अधिसूचना जारी

केन्द्र की भाजपा सरकार ने उद्योगों व सेवाओं के सभी क्षेत्रों में प्रत्येक स्थायी रोजगार को तय कार्यकाल वाले रोजगार से बदलकर 'रोजगार सृजन' (?) की योजना बनायी है। जरा विचार कीजिए, सेवानिवृत्ति तक 30 वर्ष सेवा में रहे एक स्थायी कर्मचारी के बदले पाँच– पाँच वर्ष या उससे कम की तय अवधि वाले 6 या अधिक कर्मचारी उसकी जगह ले सकते हैं।

इसके लिए, केन्द्र सरकार ने, इंडस्ट्रियल एम्पलायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर) केन्द्रीय नियम संशोधन के मसविदे में सभी क्षेत्रों में 'तय अवधि के रोजगार' को शुरू करने का प्रस्ताव करते हुए 30 दिन की जन–सूचना दी है।

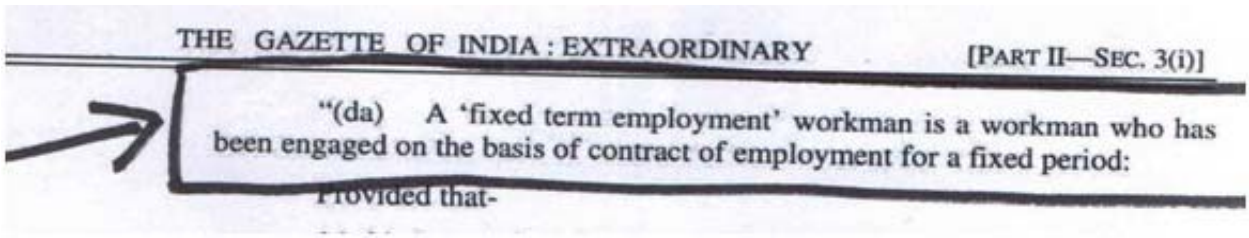
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

"(da) A 'fixed term employment' workman is a workman who has been engaged on the basis of contract of employment for a fixed period:

Provided that-

इस अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए 10 जनवरी को सीटू महासचिव तपन सेन ने, ऐसे संशोधनों के बारे में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से पहले विचार विमर्श की प्रचलित परिपाटी को धता बताकर उसके उलट चोरी–छिपे ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए श्रम मंत्रालय को आड़े हाथों लिया।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त विरोध के बावजूद स्थायी आदेश नियमों में ऐसा ही संशोधन तब की भाजपा सरकार ने 10 दिसम्बर, 2003 को जारी किया था। तथापि, मजदूरों की मजबूत देशव्यापी विरोध कार्रवाईयों,के चलते सरकार को 2007 में राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा इसे वापस लेना पड़ा था।

भाजपा सरकार ने 29 अप्रैल, 2015 को ऐसी ही एक अधिसूचना के माध्यम से एक बार फिर सभी सैक्टरों में तय अवधि रोजगार शुरू करने का कदम उठाया। उस समय भी सीटू व अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों इसका कड़ा विरोध किया था, विशेषतौर पर 12 सूत्री माँगों को लेकर 2 सितम्बर, 2015 की संयुक्त देशव्यापी मजदूर आम हड़ताल के नोटिस दिये जाने के चलते सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ सकी।

इस वर्तमान कदम के पहले सरकार ने सीटू व अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के विरोध के बावजूद सरकार 'ने वस्त्र निर्माण क्षेत्र में तय कार्यकाल के रोजगार' के लिए नियमों में संशोधन किया था। तब सरकार ने, केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा बाद में जारी एक बयान के जरिये केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं को सफाई दी थी कि ''सैक्टर की मौसमी प्रकृति'' को देखते हुए इस फैसले से वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में तय अवधि के आधार पर मजदूरों का ज्यादा रोजगार मिलेगा।

तथापि, अब मसविदे के बिन्दु 2 में संशोधन के प्रस्ताव से भाजपा सरकार की वास्तविक मंशा साफ हो गयी है जिसमें उसने ''वस्त्र निर्माण में तय अवधि रोजगार' को बदल कर सीधे 'तय अवधि का रोजगार' कर दिया है। 2016 के संशोधन के बाद, मौजूदा नियम, मजदूर को, ''स्थायी, प्रोबेशनर, बदली, टेम्परारी, कैजुअल, अप्रेन्टिस व फिकस्ड टर्म एम्पलायमेंट इन अपेरल मेन्युफैक्चरिंग सैक्टर '' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब प्रस्तावित संशोधन के साथ वर्कमैन को ''स्थायी, प्रोबेशनर्स, बदली, टेम्परारी कैजूअल, अप्रेन्टिस व फिकस्ड टर्म एम्पलायमेंट'' के रूप वर्गीकृत किया जायेगा। *(बल देने के लिए रेखांकित)*

Draft rules

1. (1) These rules may be called the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2018.

~~(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.~~

2. In the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), in Schedule, in item 1, for the words "fixed term employment workmen in apparel manufacturing sector;"; the words "fixed term employment" shall be substituted;

प्रस्तावित संशोधित नियम में प्रावधान है कि इन तय कार्यकाल वाले कर्मचारियों के ''कार्य के घण्टे, वेतन, भत्ते व अन्य लाभ स्थायी मजदूर से कम नहीं होंगे'' ठीक है; लेकिन वह तो सेवा के कार्यकाल के समानुपाती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक तय कार्यकाल वाला कर्मचारी सर्विस के शुरूआती बिन्दु पर एक शुरूआत करने वाले की तरह सामान्य प्रोबशेन, कंफर्मेशन तथा रेम्युनेरशन के साथ शुरू करेगा।

सीटू के पत्र में, तपन सेन ने एअर इंडिया की सहयोगी अलायंस एअर के कर्मचारियों का उदाहरण दिया जिन्हें तय अवधि के रोजगार में भर्ती किया गया था और जिन्हें एअर इंडिया में कार्यरत कर्मियों के जैसी वेतन व सुविधाओं से वंचित किया गया। सीटू की ओर से इस बारे में एअर इंडिया प्रबंधन को लिखे गये पत्रों को कोई उत्तर नहीं मिला। स्थायी व फिक्सड टर्म वाले कर्मचारियों के एक जैसे वेतन व सुविधाओं का यह एक उदाहरण है।

रोजगार की ऐसी अस्थायी प्रकृति स्वतः ही फिक्स्ड को क्षणभंगुर बना देती है और सरकार का मौजूदा कदम केवल कारपोरेटों के लिए 'धंधे को आसान बनाने' के लिए है। सीटू मौजूदा संशोधनों का कड़ा विरोध करता है। *(बल देने के लिए रेखांकित)*

सरकार व रेलवे की प्रिंटिंग प्रेसों का बंद किया जाना

2 जनवरी को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारत सरकार की 17 प्रिंटिंग प्रेसों तथा रेलवे की सभी प्रिंटिंग प्रेसों को बंद किये जाने के मुद्दे को उठाते हुए सीटू महासचिव, सांसद तपन सेन ने स्पष्ट किया कि शहरी विकास पर संसद की स्थायी समिति ने 10 अगस्त, 2017 की अपनी रिर्पोट में इन प्रेसें के बंद किये जाने को 'बहुत ही अनुचित' बताया था। संसदीय स्थायी समिति के सामने संबंधित मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि ये प्रेसें बहुत काम कर रही हैं, उनके प्रयास 'बेहतरीन' रहे हैं और कर्मियों की गंभीर कमी तथा विभिन्न मंत्रालयों पर बकाया 390 करोड़ रूपये के बावजूद उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को भली–भांति संभाला है। इस आधार पर स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि बंद करने के बजाय इन सभी प्रेसों का आधुनिकीकरण व विकास किया जाये। रेलवे में भी ऐसी ही स्थिति है।

बंदी के ऐसे कदम के खिलाफ, इन प्रेसों के मजदूर व कर्मचारी, पश्चिम बंगाल के संतरागाछी समेत, बंदी का देश भर में डट कर लगातार प्रतिरोध करते रहे हैं।

तपन सेन ने माँग की कि सरकार को अपने प्रिंटिंग व स्टेशनरी विभाग को तथा रेलवे को भी अपनी प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने से बाज आना चाहिये जो 'मेक इन इंडिया के नारे के शोरगुल के साथ फिट नहीं बैठता है।' दरअसल बंदी का यह फैसला भारत की निर्माण क्षमताओं के लिए विनाशकारी है तथा सरकार को इस प्रतिगामी कदम से अवश्य ही बचना चाहिये; तपन सेन ने कहा। राज्य सभा के अन्य सदस्यों– टी के रंगराजन (तमिलनाडु), के के रागेश (केरल), सी पी नारायनन (केरल) व सोमप्रसाद (केरल)– सभी सी पी आइ (एम); पी. भट्टाचार्य (पश्चिम बंगाल), डी. राजा (तमिलनाडु)– सी पी आई; किरणमय नंदा (यू पी) व नीरज शेखर (यू पी)– सपा; विजिला सत्यानंथ(तमिलनाडु)– ए आइ ए डी एम के; विवेक गुप्ता (पश्चिम बंगाल) व मो. नदीमुल हक (पश्चिम बंगाल)– टी एम सी; व अन्य ने तपन सेन के बयान का समर्थन किया।

योजना मजदूर

17 जनवरी, 2018
विशाल देशव्यापी संयुक्त हड़ताल
60 लाख हड़ताल में और 20 लाख सड़कों पर

यह भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जब आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, एन.सी.एल.पी., छोटी बचत, एसएसए, एन.आर.एल.एम., मनरेगा, पैरा शिक्षकों आदि के लगभग 60 लाख योजना मजदूर, जिनमें लगभग 90% महिलाऐं हैं, ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) के एकजुट आह्वान पर पहली बार 17 जनवरी 2018 को संयुक्त राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे। हड़ताल में कई स्वतंत्र यूनियनें भी शामिल हुई और शिरकत यूनियनों की सदस्यता से परे चली गयी। लगभग 20 लाख हड़ताली कार्यकर्ता पूरे देश में प्रदर्शनकारी कार्यक्रमों में शामिल हुए।

हड़ताल की मुख्य मांगें (1) योजना कर्मचारियों के संदर्भ में 45वें आई.एल.सी. की सिफारिशों को लागू करना – (i) मजदूरों के रूप में मान्यता, (ii) न्यूनतम मजदूरी रु० 18,000 प्रति माह से कम नहीं और (iii) न्यूनतम् पेंशन रु० 3,000 और ई.पी.एफ. और ई.एस.आइ.सी की कवरेज सहित सामाजिक सुरक्षा; (2) न्यूनतम मजदूरी के स्तर तक उनकी मजदूरी में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आई.सी.डी.एस., एम.डी.एम.एस., एन.एच.एम., एस.एस.ए., एन.सी.एल.पी. आदि सहित केंद्र की योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट 2018–19 में पर्याप्त वित्तीय आवंटन; और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और गुणवत्ता सेवाओं के साथ योजनाओं का सार्वभौमिकरण; और (3) किसी भी रूप में योजनाओं का कोई निजीकरण नहीं और कोई भी नकदी हस्तांतरण या लाभार्थियों के निवारण माध्यम से नहीं।

कई राज्य सरकारों की, छंटनी करने, एक दिन की हड़ताल के लिए एक हफ्ते से एक माह के लिए मजदूरी कटौती आदि की धमकी के बावजूद भी हड़ताल मुकम्मल थी। तेलंगाना में एक डी.आर.डी.ओ. ने मनरेगा के क्षेत्र सहायकों को नोटिस जारी किया कि उनकी हड़ताल राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ थी(!) मोदी सरकार और बीएमएस ने वेतन में वृद्धि और ईएसआई, पीएफ आदि की कवरेज की अफवाहें फैलाकर मजदूरों को बरगलाने की भी कोशिश की। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने खुद को हड़ताली कामगारों को बड़े पैमाने पर निकालने की धमकी दी।

हड़ताली मजदूरों ने उत्तर पूर्व में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा; पूर्व में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड;उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और राजस्थान में; पश्चिम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा; और दक्षिण में केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना के लगभग 500 जिलों में प्रदर्शन किया गया। आंध्र प्रदेश में हड़ताल 23 जनवरी को होगी।

असम में, बिहू त्यौहार के बावजूद, कई जिलों में प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। बिहार में, कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से और स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन आयोजित किए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक बड़ी रैली आयोजित की गई जिसमें जिला स्तर के प्रदर्शनों के अलावा मुख्यमंत्री और प्रशासन के खतरे को खारिज कर दिया गया। मुर्शिदाबाद जिले में अगले दिन प्रशासन द्वारा 2 आंगनवाड़ी केंद्रों को जबरन बंद कर दिया गया।

हरियाणा के सभी जिलों में आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील के मजदूरों की लामबन्दी भारी संख्या में हुई। राज्य में कुल 22,000 आशा मजदूरों में से 20,000 हड़ताल पर थी। वे अगले सप्ताह 4 दिनों की हड़ताल की तैयारी भी कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में, सीटू बैनर के तहत योजना कर्मियों ने जम्मू और कश्मीर घाटी के कई स्थानों पर प्रदर्शन किया था।

दिल्ली में, दिल्ली की योजनाकर्मियों और पंजाब के कुछ आंगनवाड़ी मजदूर मंडी हाउस से संसद मार्ग की ओर चले बीच में ही उन्हें पुलिस ने रोक दिया था। मजदूरों ने पुलिस की घेराबंदी तोड़ी और संसद मार्ग पहुँचे और सभा आयोजित की। इस जुलूस का नेतृत्व करने वालों में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के धीरेन्द्र शर्मा (एटक), मनजीत, राजेन्द्र (एच.एम.एस.), ए.आर. सिंधु, उषा रानी, रंजना निरुला, अनुराग सक्सेना (सीटू), संतोश राय (ए.आई.सी.सी.टी.यू.), एम चौरसिया (ए.आई.यू.टी.यू.सी.) शामिल थे, बाद में, एक संयुक्त ज्ञापन वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में 5 ट्रेड यूनियनों द्वारा आँगनवाड़ी मजदूरों और सहायकों की एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी। जिला स्तर पर प्रदर्शन भी आयोजित किए गए थे। 75,000 आँगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील मजदूरों ने गुजरात के 22 जिलों में विरोध प्रदर्शन किए।

केरल में सभी ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए मार्च आयोजित किए। कर्नाटक में, योजना कर्मचारियों ने राज्य के चार केंद्रीय मंत्रियों के सामने 24 घंटे का पड़ाव आयोजित किया था। सिरसी में, लगभग 5000 मजदूरों ने अनन्त कुमार के घर के सामने प्रदर्शन का आयोजन किया गया और ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। लगभग 4500 मजदूरों ने सदानन्दगौडा के निवास के सामने विरोध किया गया। बीजापुर में, केंद्रीय मंत्री रमेश जीन्जांगी को विरोध स्थल तक पहुंचने और आंदोलनकारी 4500 मजदूरों से ज्ञापन प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया था।

हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में, मोदी सरकार के मंत्रियों के शिविर कार्यालयों के सामने, प्रदर्शन और धरने आयोजित किए गए। मंत्रियों को ट्रेड यूनियनों के साथ चर्चा करने के लिए मजबूर किया गया था।

ज्यादातर राज्यों में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। कुछ स्थानों पर कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से आयोजित किए गए थे। संयुक्त वक्तव्य में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने योजना कर्मचारियों को सफल हड़ताल के लिए बधाई दी और अनिश्चितकालीन हड़ताल और पड़ाव सहित संयुक्त संघर्ष के भविष्य के कार्यक्रम को घोषित किया जो सरकार के जवाब के आधार पर केंद्रीय बजट 2018–19 के बाद निर्णय लिया जाएगा। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने, संसद में केन्द्रीय बजट के प्रस्तुत होने के तुरंत बाद, यदि योजना कर्मचारियों के लिए और योजनाओं के लिए फंड का उचित आवंटन नहीं होता है, तो 1 या 2 फरवरी को तत्काल विरोध का आह्वान किया है।

– ए.आर. सिन्धु

कोयला

कोयला उद्योग में 10 वाँ वेतन समझौता

डी डी रामानंदन

कोल इंडिया लिमिटेड (सी आइ एल) अपनी सहायक कंपनियों तथा तेलंगाना राज्य व केन्द्र सरकारों के संयुक्त उपक्रम– सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एस सी सी एल समेत); पहला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसने 10 वीं द्विपक्षीय वार्ता समिति जिसे जे बी सी सी आइ कहा जाता है, के गठन के 10 महीनों के अंदर वेतन वार्ता को सफलतापूर्वक पूरा किया; तथा वेतन, भत्तों, सामाजिक सुरक्षा, बचाव आदि के बारे में 10 दौर की चर्चा के उपरान्त 10 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में कोयला मजदूरों के लिए 10 वाँ राष्ट्रीय वेतन समझौता हस्ताक्षरित कराया।

समझौते की खास बातें

इस वेतन समझौते में सी पी एस ई के मजदूरों के लिए कई महत्वपूर्ण बातें हैं। यह समझौता सी पी एस ई में वेतन समझौतों के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी पी ई) के दिशा–निर्देशों का इंतजार किये बिना किया गया।

समझौते की अन्य विशेष बातों में शामिल हैं– (1) समझौता 5 वर्ष के लिए 9 वें वेतन समझौते की मियाद समाप्त होने की तारीख 1.7.2016 से प्रभावी होगा; (2) न्यूनतम गारण्टीशुदा लाभ (एम जी बी) कुल राशि– बेसिक + उपस्थिति बोनस, 30.6.2016 के अनुरूप; (3) सभी कर्मचारियों के लिए वी डी ए 100 प्रतिशित समाविष्ट होगा; (4) वार्षिक वृद्धि प्रोग्रेशन आधार पर बेसिक की 3 प्रतिशत होगी; (5) विशेष भत्ता 1.7.2016 से रिवाइज्ड बेसिक का 4 प्रतिशत होगा; (6) भूमिगत भत्ता (यू/जी) रिवाइज्ड बेसिक का 9 प्रतिशत होगा जो

1.7..2016 से प्रभावी होगा जो नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एन ई सी) के लिए 10.5 प्रतिशत होगा; (7) अन्य मौजूदा भत्तों में भी लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है।

सामाजिक सुरक्षा

समझौते में तीन महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कदमों को शामिल किया गया है। (1) सी एम पी एस– 98 (कोल माइन्स पेंशन स्कीम 1998) के कॉर्पस में मौजूदा अंशदान परिवर्तनीय हैं– 1.61 प्रतिशत से 1.62 प्रतिशत प्रबंधन के द्वारा व 3.16 प्रतिशत से 6.16 प्रतिशत मजदूरों के द्वारा। इन्हें प्रबंधन व मजदूरों द्वारा मौजूदा प्रतिशत को इसमें मिला देने के बाद रिवाइज्ड बेसिक व वी डी ए दोनों को 7 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। (2) नवम्बर 2014 में मजदूरों के एकमुश्त 40,000 रूपये के अंशदान को साथ एक अस्थायी योजना के रूप में नॉन एक्जीक्यूटिवों के लिए एक अंशधारी पोस्ट रिटायरमेंट मेडीकेयर स्कीम शुरू की गयी थी। 10 वें समझौते में इसमें प्रति सदस्य प्रबंधन की और से 18,000 रूपये के एकमुश्त अंशदान को अतिरिक्त शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जे बी सी सी आइ में प्रबंधन व यूनियनों के प्रतिनीधियों को लेकर एक न्यास बनाया जायेगा जो इस योजना का नियमन व देख रेख करेगा। (3) हृदय रोगों, क्षयरोग, कैंसर, कोढ़ लकवा व गुर्दे की बीमारी एड्स व दिमागी बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों को अंतिम प्राप्त कुल वेतन राशि (बेसिक + वी डी ए + एस डी ए) के 50 प्रतिशत पर 6 महीने की विशेष मेडिकल छुट्टी की मंजूरी दी गयी है। 10 वें समझौते में इस लाभ को 6 महीने से बढ़ाकर तब तक किया गया है जब तक कर्मचारी को कंपनी के मेडिकल बोर्ड या अन्य किसी अस्पताल जिसमें प्रबंधन द्वारा मामले को भेजा गया हो, के द्वारा फिट धोषित न किया जाये।

ठेका मजदूरों के लिए

ठेका मजदूरों को पहली बार जे बी सी सी एल– IX के. पिछले कोयला मजदूरों के राष्ट्रीय वेतन समझौते में शामिल किया गया था। किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में पहली बार ठेका मजदूरों के लिए वेतन वी डी ए के साथ द्विपक्षीय उच्च समिति (एच पी सी) में तय किया गया था। तथापि, इसमें कोल इंडिया लिमिटेड की सहयोगी कंपनियों व एस सी सी एल की ओर से देरी व कमजोर करने तथा लागू न किये जाने की शिकायतें थीं। समझौते में ठेका मजदूरों के संबंध में दो प्रावधानों को शामिल किया गया है (1) एच पी सी के द्वारा सिफारिश किये गये वेतन के प्रभावी ढंग से लागू होने की देखरेख कि लिए प्रबंधन व ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जायेगी; और (2) उनके वेतन व अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के रिवीजन के लिए भी एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी।

समझौते में शामिल अन्य मुद्दे

1. पहले, अलग–अलग प्रतिष्ठानों में मासिक दर व दिहाडी दर कर्मचारियों के लिए त्योहारों की छुट्टियों व काम के धंटों के बारे में भिन्नता थी। इस समझौते में प्रावधान किया गया है कि सभी प्रतिष्ठानों में सभी कर्मचारियों को बराबर छुट्टियां मिलेंगी व काम के घंटे भी समान होंगे।
2. अवकाश संचय को बढ़ाया गया है– अर्जित अवकाश 140 से बढ़कर 150 दिन व बीमारी के लिए अवकाश 110 दिन से बढ़ाकर 120 दिनों का किया गया है।
3. प्रबंधन, मजदूरों को 4 वर्ष में एक बार गृह नगर भ्रमण के लिए एकमुश्त रू० 8000/ तथा भारत भ्रमण के लिए रू० 12,000/– देगा। पहले के समझौते के 13 दिन के अर्जित अवकाश के साथ इस लाभ के जुड़े होने के प्रावधान को इस समझौते से हटा दिया गया है।
4. जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत मजदूर को एकमुश्त दी जाने वाली राशि को रू० 1.12 लाख से बढ़ाकर रू० 1.25 लाख कर दिया गया है।
5. वर्कमैन कम्पेंनशेसन एक्ट के तहत मिलने वाले मुआवजे के अतिरिक्त, कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने व स्थायी विक्लांग होने पर मजदूर को दी जाने वाली राशि को रू० 84,000/ से बढ़ाकर रू० 90,000/ कर दिया गया है।
6. घातक खदान दुर्घटना की स्थिति में मृतक कर्मचारी के पारिवारीजन को रू 5 लाख की राशि दी जायेगी।
7. पहले के 7 वें, 8 वें वेतन समझौतों में एक प्रावधान था कि डिपेंडेंट (चिकित्सकीय रूप से आयोग्य, प्राकृतिक मृत्यु व दुर्घटना में मृत्यु के शिकार मजदूर के डिपेंडेंट) के रोजगार या वित्तीय लाभ के लिए फैसला लेने के वास्ते ट्रेड यूनियनों व प्रबंधन के प्रतिनिधियों की एक समिति की रिर्पोट आने तक यथास्थिति कायम रखी जायेगी। इस प्रावधान को 10 वें वेतन समझौते में भी बनाये रखा गया है।

जे बी सी सी एल की पाँच केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों– इंटक, एच एम एस, एटक, सीटू व बी एम एस में से इंटक, उसके एक विरोधी धड़े की ओर से दायर याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक के चलते वार्ता में भाग नहीं ले सकी। एच एम एस ने चर्चा में पूरी तरह भाग लिया व लगभग सभी बिन्दुओं पर सहमति दी लेकिन उसने समझौते पर दस्तखत नहीं किये।

23 सितम्बर, 2017 को, वार्ता के जारी रहते, इंटक ने एकतरफा आंदोलन का एलान किया कि वह 30 अक्टूबर से 2 नवम्बर तक कोयले के परिवहन को बंद करेगी व 6–8 नवम्बर, 2017 तक 3 दिन की हड़ताल करेगी। एच एम एस ने स्वतन्त्र रूप से सहयोगी कंपनियों के मुख्यालयों के सामने 1 नवम्बर को प्रदर्शन किये। तथापि, इंटक व एच एम एस दोनो के ही फेडरेशनों के आंदोलन के आहवान को कोयला मजदूरों के समर्थन की कमी रही। (डी डी रामानंदन सीटू के राष्ट्रीय सचिव व ऑल इंडिया कोल फेडरेशन के महासचिव हैं।)

सार्वजनिक क्षेत्र

डी.सी.आई. के निजीकरण के खिलाफ आन्दोलन में तेजी

संघर्षरत मजदूरों के साथ एकजुटता की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति में, विशाखापत्तनम् की जनता ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के निजीकरण के खिलाफ जनमत के चुनावों में कुल 1.013 लाख वोटों अर्थात् 98.8% बहुमत ने मतदान किया। सीटू की ग्रेटर विशाखा सिटी कमेटी, सभी ट्रेड यूनियनों और कई राजनीतिक दलों ने केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा डीसीआई के निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग का समर्थन देने के लिए द्वार–द्वार अभियान चलाया। हिंदुस्तान जिंक के निजीकरण के पहले के अनुभव के आधार पर डीसीआई के निजीकरण के खिलाफ विशाखापट्टनम् की जनता के बीच मजबूत भावना है। इसके अधि ग्रहण के बाद, वेदांता ने पहले श्रमशक्ति को कम किया और फिर 2013 में हिंदुस्तान जिंक को बंद कर दिया, हालांकि यह लाभ में चल रहा था।

2 नवंबर, 2017 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया और डीसीआई निजीकरण को गति देने के लिए अंतः मंत्रालयी समूह का गठन किया। सीटू के महासचिव तपन सेन ने तत्काल प्रधान मंत्री जी को लिखकर इस फैसले का विरोध किया। वास्तव में, संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 170वीं 'प्रमुख बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर रिपोर्ट' में कहा कि *''विभिन्न एजेंसियों पर डीसीआई का विशाल धन बकाया है और जिसके परिणामस्वरूप डीसीआई विकास गतिविधियों को शुरु नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि डीसीआई को एक बीमार इकाई बनाने के लिए सरकार के निहित स्वार्थों के तहत कुछ अराजकता भरे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे निजी कंपनियों द्वारा अत्यधिक दरों पर तलमार्जन का काम कराया जा सके।''*

सरकार के फैसले (सीटू मजदूर, जनवरी 2018) के खिलाफ 4 दिसंबर को डीसीआई के युवा मजदूर वेंकटश की आत्महत्या का व्यापक असर पड़ा है। 7 दिसंबर को सीटू के राज्य अध्यक्ष सीएच नरसिंहराव, के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने वेंकटेश परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा और केंद्रीय सरकार के साथ इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि डीसीआई के निजीकरण पर निर्णय लेने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से भी परामर्श नहीं किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले से ही 2016 में अंतर्राश्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान, पूर्व गोदावरी जिले में 800 करोड़ के निवेश के साथ ''ड्रेजिंग इंस्टीट्यूट'' और ''अन्तरवेदी'' में मरम्मत की दुकान के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था जो 2000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा यदि डीसीआई का निजीकरण होगा तो यह अमल में नहीं आ सकेगा।

30 नवंबर से डीसीआई के मजदूर और अधिकारी मुख्य विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट के निकट तीन घोड़े जंक्शन पर क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। राजनीतिक दलों और उनके कई नेताओं से व्यापक समर्थन प्राप्त है, जिनमें जनसेना के नेता और अभिनेता पवन कल्याण, वाईएसआर कांग्रेस एम.पी. विजयसार्थी शामिल हैं, सीपीआई (एम) के राज्य सचिव पी. मधु और सीपीआई के राज्य सचिव रामकृष्ण ने आंदोलन शिविर का दौरा किया और अपना समर्थन दिया है।

विजाग स्टील प्लांट, भेल, एचपीसीएल, हिंदुस्तान शिपयार्ड, एलआईसी, बैंक की यूनियनों; एफएमआरएआई, अखिल भारतीय पेंशनभोगी संगठन आदि एकजुटता में क्रमिक भूख हड़ताल में शामिल हुए।

6 जनवरी को, सीटू अध्यक्ष के. हेमलता ने क्रमिक भूख हड़ताल शिविर का दौरा किया और डीसीआई के कर्मचारियों को 40 दिनों से जारी आंदोलन के लिए बधाई दी। बाद में, सीटू सिटी कमेटी द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने, मोदी सरकार अपने देशी–विदेशी कॉरपोरेट दोस्तों के हितों के वास्ते, उसकी सार्वजनिक उपक्रम विरोधी नीतियों और सार्वजनिक उपक्रमों जिन्होने देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया है, को खत्म करने की मुहिम लिए, मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने डीसीआई कर्मचारियों को सीटू का पूर्ण समर्थन जताया और डीसीआई कर्मचारियों के समर्थन में और डीसीआई की सामरिक बिक्री के खिलाफ समर्थन देने के लिए सभी ट्रेड यूनियनों को बधाई दी, चाहे उनकी राजनीतिक सम्बद्धता कुछ भी हो।

केरल केन्द्रीय सार्वजनिक उनक्रमों की यूनियनों ने एफ.ए.सी.टी., कोचीन शिपयार्ड, रिफाइनरी, बी.पी.सी.आई., डी.सी.आई., एच.ओ.सी. पोर्ट, एच.आई.एल., फॉरवर्ड सीमेन यूनियन के मजदूरों ने मिलकर शिपिंग मिनिस्ट्री कार्यालय के पास एक दिन का धरना आयोजित किया। धरने को सीटू के राष्ट्रीय सचिव चंद्रनपिल्लई ने संबोधित किया। *(द्वाराः कुमारमंगलम)*

परियोजना कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल

17 जनवरी, 2018 (पूर्व)

असम

पश्चिम बंगाल

त्रिपुरा

ओडिशा

बिहार

झारखंड

परियोजना कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल

17 जनवरी, 2018 (उत्तर)

उत्तरप्रदेश

उत्तराखंड

हरियाणा

राजस्थान

हिमाचल प्रदेश

पंजाब

जम्मू ,जे एंड के

कुलगाम, जे एंड के

परियोजना कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल

17 जनवरी, 2018 (पश्चिम)

महाराष्ट्र

मध्यप्रदेश

छत्तीसगढ़

गुजरात

परियोजना कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल

17 जनवरी, 2018 (दक्षिण)

मल्लापुरम, केरल

तेलंगाना

तमिलनाडु

कर्नाटक

रेलवे

रेलवे स्टेशनों का निजीकरण

5 जनवरी 2018 को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री पीयूश गोयल ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही 400 रेलवे स्टेशनों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है; सभी 'ए –1' और 'ए' श्रेणी के हैं; और, तदनुसार, पहले चरण में निविदा के लिए 23 रेलवे स्टेशनों को अधिसूचित किया गया था।

पहले चरण में रेलवे स्टेशनों के निजीकरण की सूची में ये स्टेशन हैं– महाराष्ट्र में 6 – लोकमान्य तिलक, पुणे, ठाणे, मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस और बोरिवली; पश्चिम बंगाल में एक – हावड़ा; आंध्र प्रदेश में दो – विशाखापत्तनम् और विजयवाड़ा; तेलंगाना में एक– सिकंदराबाद; उत्तर प्रदेश में दो – कानपुर सेंट्रल और इलाहाबाद; असम में एक– कामाख्या; राजस्थान में एक – उदयपुर शहर; हरियाणा में एक – फरीदाबाद; जम्मू और कश्मीर में एक – जम्मू तवी; झारखंड में एक – रांची; तमिलनाडु में एक – चेन्नई सेंट्रल; केरल में एक – कोझिकोड; कर्नाटक में दो – यशवंतपुर और बेंगलूर कैंट और मध्य प्रदेश में दो – इंदौर और भोपाल।

मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि इन 23 स्टेशनों के लिए बोली लगाने के लिए, ''केवल दो स्टेशनों (जम्मू तवी और कोझीकोड) के लिए एक–एक बोली प्राप्त हुई थी।'' और, अन्य निविदाओं के लिए, बोलीदाताओं के हित की कमी और निविदाओं को बार–बार स्थगित किया गया था। ''हालांकि, जम्मू और कोझीकोड स्टेशनों को छोड़कर, जहां निविदाएं खुली थीं, उन स्टेशनों के लिए कोई बोलियां नहीं मिलीं।''

प्रतिरक्षा

प्रतिरक्षा उद्योग का निजीकरण
jk"Vh; lqj{kk ds lkFk f[kyokM

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों की सभी तीन मान्यता प्राप्त फेडरेशनों – ऑल इण्डिया डिफेन्स इम्पलाईज फेडरेशन (एआईडीईएफ), इन्टक और बी.एम.एस. के फेडरेशनों ने संयुक्त रूप से 4 लाख से अधिक डिफेंस असैनिक कर्मचारियों द्वारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है, जो देश के विभिन्न भागों में स्थित 430 से अधिक डिफेंस प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, आन्दोलन के तहत 11 जनवरी को भोजन और चाय का बहिष्कार करने का तय किया गया है; 12 जनवरी को प्रतिष्ठानों के मुखियाओं से सामूहिक प्रतिनिधिमण्डल मुलाकात करके ज्ञापन प्रस्तुत करेगा; 15 फरवरी को संसद के सामने बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय प्रदर्शन और 15 मार्च, 2018 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल, मोदी सरकार द्वारा प्रतिरक्षा उत्पादन के निजीकरण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करेंगे। सरकार ने, 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों में निर्मित होने वाली 250 से अधिक वस्तुओं को गैर प्रमुख घोषित करके, निजी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग शुरु किया; सिलाई की हुई वर्दी के स्थान पर सैनिकों को 10,000 रूपए प्रति सैनिक यूनिफॉर्म भत्ता का भुगतान, यह निर्णय आज 5 आयुध कारखानों में वर्दी निर्माण में लगे हुए 12,000 से अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करेगा; स्टेशन कार्यशालाओं को बंद करना; आर्मी बेस वर्कशॉपों को निजी ठेकेदारों को सौंपना; डिपो और 39 मिलिट्री फार्मों को बंद करना; एम.ई.एस. में जनशक्ति की कटौती; डी.आर.डी.ओ. और डी.जी.जी.ए. की भूमिका को कम करते हुए, 31,000 कर्मचारियों को फालतू घोषित; नौसेना आदि द्वारा किए जा रहे कामों का निजीकरण; और रक्षा मंत्री के समक्ष प्रस्तुत चार संयुक्त ज्ञापनों का जवाब न देने और इन मुद्दों पर मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के साथ चर्चा नहीं करने के लिए सरकार की उदासीनता के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए भी है।

चूंकि राज्य के स्वामित्व वाला प्रतिरक्षा उद्योग देश की रक्षा का चौथा दल हैं, इसलिए फेडरेशनों ने मांग की कि इन उद्योगों को सशस्त्र बलों के समकक्ष 'युद्धक आरक्षित' के रूप में मानते हुए उन्हें बनाऐ रखा जाए और मजबूत किया जाना चाहिए।

भाजपा सरकार की केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों की सूची

सामरिक बिक्री के माध्यम से निजी प्रबंधन नियंत्रण के लिए;

बी.ई.एम.एल. का विनिवेश स्थगित

केरल से सी.पी.आई.(एम) सांसद एम बी राजेश के विशिष्ट सवालों के लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने 3 जनवरी 2018 को लोकसभा को बताया कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत बी.ई.एम.एल. (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) के प्रस्तावित विनिवेश को स्थगित कर दिया गया है, बताया कि ''सरकार ने बी.ई.एम.एल. के स्ट्रेटेजिक विनिवेश को स्थगित कर दिया है ताकि आवश्यक पहलुओं पर अधिक लगन के साथ आवश्यक कदम उठाए जा सकें।''

याद रहे कि बी.ई.एम.एल. के कर्मचारियों ने जनता के समर्थन से कर्नाटक और केरल में बीईएमएल के प्रस्तावित विनिवेश के खिलाफ आंदोलन किया था *(सीटू मजदूर, जुलाई 2017)*।

एक और सवाल के जवाब में, मंत्री ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की एक सूची प्रस्तुत की जिनके लिए ''सरकार ने स्ट्रेटेजिक विनिवेश के लिए सिद्धांत रूप से स्वीकृति दी थी।'' सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 'स्ट्रेटेजिकविनिवेश' अर्थात् (कुल निजी प्रबंधन का नियंत्रण) में (1) स्कूटर इंडिया लिमिटेड; (2) ब्रिज एंड रूफ इंडिया लिमिटेड; (3) प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड; (4) पवन हंस लिमिटेड; (5) भारत पंप्स कंप्रेसर लिमिटेड; (6) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड; (7) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड; (8) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड; (9) हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (सहायक कम्पनी) (10) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (सहायक कम्पनी); (11) हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (सहायक कम्पनी); (12) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; (13) नागर्नार स्टील प्लांट ऑफ एनएमडीसी; (14) सेल की भद्रावती, सेलम और दुर्गापुर इकाइयाँ; (15) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड; (16) नेशनल प्रोजेक्टस कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनपीसीसी); (17) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड; (18) एयर इंडिया; (19) ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; (20) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड; (21) इडिंयन मेडीसन्स एण्ड फार्मास्यूटीकल लिमिटेड; (22) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि; (23) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड; (24) आईटीडीसी की यूनिट्स/जेवीज हैं।

बी.ई.एम.एल. में पीड़ित सुरक्षाकर्मियों की बहाली हुई

नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मिनी रत्न सार्वजनिक उद्यम बी.ई.एम.एल. (भारत अर्थ मूवर्स लि०) ने इसके कार्यालय और छत्तीस गढ़ में भिलाई के स्टोर में पिछले 2 दशक से ठेका मजदूर के तौर पर कार्यरत सुरक्षा कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के काम से हटा दिया। नागपुर की किसी सुरक्षा कम्पनी को नऐ ठेकेदार के रुप में नियुक्त किया गया। निविदा प्रक्रिया के पूरा होने के तुरन्त बाद नए ठेकेदार ने एक सुपरवाईजर के तहत सरुक्षाकर्मियों के रुप में ठेका कर्मचारियों के नए बैच को भिलाई स्थित बी.ई.एम.एल. के परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए भेज दिया। न तो मुख्य नियोक्ता बी.ई.एम.एल. ने और न ही ठेकेदार ने इन 8 निवर्तमान सुरक्षाकर्मियों को सेवा समाप्ति का कोई नोटिस दिया।

पीड़ित कर्मचारियों ने सीटू की हिन्दुस्तान स्टील कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन से सम्पर्क किया। निवर्तमान सुरक्षा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति करने की अनुचित कारवाही को लेकर यूनियन ने बी.ई.एम.एल. प्रबधन के समक्ष उठाया। नई ठेकेदार सुरक्षा कम्पनी का संचालन प्रमुख नागपुर से दौड़ा और भिलाई स्थित बी.ई.एम.एल. कार्यालय पहुँचने पर यूनियन को चर्चा के लिए बुलाया। 8 जनवरी को सीटू यूनियन के नेताओं, बी.ई.एम.एल. के डिप्टी मैनेजर और ठेकेदार सुरक्षा कम्पनी के संचालन प्रमुख के बीच दो घंटे तक चली लम्बी वार्ता के बाद ठेकेदार सुरक्षा कम्पनी ने सभी निवर्तमान सुरक्षा कर्मियों को बहाल कर दिया। *(द्वाराः योगेश कुमार सैनी)*

परिवहन

तमिलनाडु राज्य परिवहन के मजदूरों की महत्वपूर्ण हड़ताल

तमिलनाडु राज्य परिवहन मजदूरों ने, 1.10.2016 से लम्बित वेतन संशोधन पर मांगपत्र लंबित समय के दौरान कठपुतली यूनियनों के साथ समझौता करके मजदूरों को विभाजित करने के प्रयास करने के सरकार के विश्वासघात के विरोध में 5 जनवरी से राज्यव्यापी हड़ताल की। हड़ताल में हस्ताक्षरकर्ता यूनियनों के सदस्य भी शामिल हुए। जब विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी रही थी, सरकार और कुछ कठपुतली यूनियनों, जिसमें सत्तारूढ़ दल की यूनियन भी शामिल थी, ने 4 जनवरी को आईडी एक्ट की धारा 12 (3) के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें वेतन+ग्रेड पे का 2.44% का प्रावधान है, जबकि सभी यूनियनें और मजदूर सरकारी कर्मचारियों के समतुल्य 2.57% के फिटमैन्ट की मांग कर रहे हैं।

हड़ताली कर्मचारियों की अन्य मांगों में 70,000 पहले से ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 1660 करोड़ रुपए की बकाया राशि और 1.2 लाख सेवारत कर्मचारियों के 460 करोड़ रुपए की राशि का तत्काल भुगतान/जमा करना शामिल है। तीसरी प्रमुख मांग में पदोन्नति नीति शामिल है क्योंकि 15–20 वर्षों के बाद भी कई कर्मचारियों को अटकाव का सामना करना पड़ रहा है।

एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय के आदेष में हड़ताल को अवैध घोषित करके राज्य सरकार को हड़ताली मजदूरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाही करने को कहने; और 7 जनवरी को सरकार की धमकी के बावजूद भी हड़ताल उत्साह के साथ जारी है, मजदूरों के परिवार के सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। हड़ताल, सत्तारूढ़ दल को छोड़कर सभी राजनैतिक दलों द्वारा समर्थित थी। हड़ताल को तोड़ने के लिए सरकार ने बसों का संचालन करने के लिए बेरोजगार युवकों को भी शामिल किया, जिससे हर दिन 15 से 20 बसों की दुर्घटनाऐं हुई जिससे 9 जनवरी तक 3 लोगों की मौत हो गई।

आखिरकार, उच्च न्यायालय के खंडपीठ के हस्तक्षेप और पहले के उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करके सरकार से कहा था कि अदालत को नोटिस दिए बिना हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाऐ और वेतन संशोधन और संबंधित मामले में मध्यस्थ के रूप में उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति; और मुख्यमंत्री द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ के तहत 750 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा के बाद चल रही हड़ताल को वापस कर लिया गया और हड़ताल के स्थगन का नोटिस सरकार को दिया गया।

ऑल इण्डिया रोड़ ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने हड़ताली कर्मचारियों के साथ एकजुटता और समर्थन के लिए देश में अपनी यूनियनों से कहा; इसके उप–महासचिव लक्ष्मैया ने चेन्नई में हड़ताली कर्मचारियों से मुलाकात की और शानदार हड़ताल और उपलब्धियों के लिए तमिलनाडु के राज्य परिवहन मजदूरों को बधाई दी।

ई एस आइ सी बैठक के प्रमुख फैसले व मुद्दे

प्रशान्त एन चौधुरी

ई एस आइ सी की 172 वीं बैठक 6 दिसम्बर, 2017 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक के प्रमुख फैसले व बैठक में चर्चा के मुद्दे निम्नलिखित रहे।

1 **बैठकों के बीच लम्बा अंतराल :** बैठक 10 महीनों के बाद हुई थी। सदस्यों ने बैठकों के बीच इतने लम्बे अंतराल के लिए ई एस आइ सी प्राधिकार की आलोचना की। चेयरमैन ने आश्वस्त किया कि ऐसी देरी भविष्य में नहीं होगी।

2 **राज्यों में ई एस आइ सी सोसायटियाँ बनाने पर :** इस विषय का ट्रेड यूनियनों के सभी कर्मचारी प्रतिनिधि सदस्यों ने विरोध किया क्योंकि इससे निगम के बीमित व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार से हटकर प्रस्तावित सोसायटियों पर जाती है। सोसायटियों की निगम में अंशदान करने वाले मजदूरों के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी। ट्रेड यूनियन सदस्यों ने जोर दिया कि ई एस आइ सी की सेवाएं प्रदान करने की केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी जारी रहनी चाहिये। समिति के कुछ गैर कर्मचारी प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे पी पी पी मॉडल के लागू होने का रास्ता साफ होगा। चेयरमैन ने ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के एतराजों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

3 **डिस्पेंसरियों को 6 बिस्तर वाले अस्पतालों में बदलने पर :** ई एस आइ के दायरे के बढ़ने के साथ, यह तय किया गया था कि एक तिहाई ई एस आइ डिस्पेंसरियों को, सभी दिन 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाले 6 बिस्तर वाले अस्पतालों के रूप में क्रमोन्नत किया जायेगा। प्रस्तावित नियम यह था कि 10,000 हजार बीमित व्यक्तियों के साथ, हर दिन 200 मरीजों की बाहय रोगी उपस्थिति के साथ, ऐसे अस्पतालों के बीच न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर होगी। तथापि, अंततः यह तय किया गया कि न्यूनतम दूरी 10 किलोमीटर रहेगी तथा सुविधा के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शहरी व ग्रामीण इलाकों के लिए अलग–अलग पॉलिसियां रहेंगी।

4 **नये अस्पतालों के निर्माण व विस्तार को मंजूरी :** विभिन्न राज्यों में 43 नये अस्पतलों के निर्माण तथा वर्तमान अस्पतालों के विस्तार को मंजूरी दी गयी।

5 **उप–क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रस्तावित विलय :** ई एस आइ सी ने अलग–अलग राज्यों में अपने 18 उप–क्षेत्रीय कार्यालयों का अन्य उप क्षेत्रीय कार्यालयों व क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ विलय का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का देश के अलग–अलग हिस्सों में विरोध हुआ है। सीटू महासचिव ने केन्द्रीय श्रममंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव को वापिस लिये जाने की माँग की विशेषकर तब जब सभी राज्यों व जिलों में ई एस आइ सी सेवाओं का दायरा बढ़ रहा है। अंततः प्रस्ताव को वापिस ले लिया गया।

6 **उच्च विशेषज्ञता वाला उपचार :** लगभग सभी सदस्यों ने 2 वर्ष की सदस्यता पूरी होने से पूर्व बीमित कर्मचारियों व उनके परिवारीजनों को सुपर स्पेशिलिटी ट्रीटमैंट सेवा प्रदान किये जाने को वापिस लिये जाने बाबत 7.11.16 के एकतरफा जारी किये गये सर्कुलर सं. वी– 14/11/5/2012 मेड० आई (पॉलिसी) को वापिस लिए जाने व इसे जबरन लागू न किये जाने की मांग की। सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यह सर्कुलर ई एस आइ एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है और निगम ने ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। चेयरमैन ने इस पर अपनी टिप्पणी सुरक्षित रखी। समूचे मसले को भविष्य में तय करने के लिए छोड़ दिया गया।

(प्रशांत नंदी चौधुरी सीटू के राष्ट्रीय सचिव तथा ई एस आई सी में उसके प्रतिनिधि हैं)

राज्यों से

हरियाणा

आंगनवाड़ी केन्द्रों को एन जी ओ को सौंपने का विरोध

हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन की गुड़गाँव जिला इकाई ने जिले के सरहोल गांव के 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों को एक गैर सरकारी संगठन को सौंपे जाने के विरोध में 27 दिसम्बर को स्थानीय कमला नेहरू पार्क में आम सभा की। सभा में इस फैसले की निंदा की गई और इस कोशिश के विरोध में जल्द ही परियोजना अधिकारी से मिलने का फैसला करते हुए सरकार के अपने फैसले पर अड़े रहने की स्थिति में आंदोलन तेज करने का फैसला किया गया।

सीटू राज्य अध्यक्ष सतबीर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए निजीकरण का विरोध किया और योजना मजदूरों को लगभग 18,000 रू. न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा नियमित कर्मचारी के रूप में मान्यता तथा बकाया वेतन दिये जाने की माँग की। यूनियन की महासचिव सरस्वती देवी ने योजना कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल को राज्य में सफल बनाने की अपील की। यूनियन की अध्यक्ष मीना देवी ने बैठक की अध्यक्षता की।

पंजाब

चौकीदारों की सभा

राज्य के 9 जिलों से 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने गढ़शंकर के शहीद भगत सिंह पार्क में सीटू की लाल झंडा पेंडु चौकीदार यूनियन की आम सभा में भाग लिया। सभा की अध्यक्षता परमजीत सिंह नीलो ने की।

सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य महासचिव रघुनाथ सिंह ने गांव चौकीदारों को पिछले तीन वर्षो के दौरान उनके सफल संधर्षो के लिए बधाई दी। चौकीदारों ने संधर्ष के बल पर पहले अकाली–भाजपा सरकार को अपने पारिश्रमिक में रू 200 की वृद्धि करने और फिर मौजूदा काँग्रेस सरकार को अगस्त 2017 से प्रभावी रू 250/ प्रतिमाह की वृद्धि करने पर मजबूर किया। उन्होंने चौकीदारों से योजना कर्मियों 17 जनवरी की अखिल भारतीय हड़ताल व 30 जनवरी के की मजदूरों के सत्याग्रह को राज्य में सफल बनाने का आहवान किया।

सभा को सीटू के राज्य नेताओं जतिन्दर पाल सिंह, मोहिन्दर कुमार बाधोवान, मोहन सिंह रोड़ी तथा यूनियन के नेताओं हरभजन डोगरांवाली, हरजिन्दर अटारी, देवीदास मियानी, शिंदर सिंह व अन्य ने संबोधित किया।

मजदूरों का जन-कन्वेंशन

अलग–अलग यूनियनों के 500 से अधिक कार्यकर्ताओं व मजदूरों ने लुधियाना जिले के सुधार टाऊन में सीटू द्वारा आयोजित एक प्रभावी कन्वेंशन में 30 जनवरी के मजदूरों के अखिल भारतीय सत्याग्रह को राज्य में सफल बनाने का फैसला किया।

कन्वेंशन को सीटू के राज्य नेताओं–महासचिव रघुनाथ सिंह, जतिन्दर पाल सिंह, तरसेम जोधा व हनुमान प्रसाद दुबे व प्रकाश सिंह हिस्सोवाल ने संबोधित किया।

आंध्रप्रदेश

संधर्ष की रिपोर्टें

जन एकता जन अधिकार आंदोलन : 30 अक्टूबर को 7 जिलों में मशाल जुलूस रैलियां निकाली गयीं जिनमें सीटू के 4,860 मजदूरों समेत 6000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया।

मूल्य वृद्धि के खिलाफ : 13 नवम्बर को, 5 जिलों में रिहायशी इलाकों व कार्य स्थलों में अभियान आयोजित किया गया इसमें 32,000 परचे वितरित किये गये।

नगर पालिका मजदूरों की हड़ताल : म्यूनिसिपल वर्कर्स की ज्वाईंट एक्शन कमेटी (जे ए सी) ने, जॉब कॉंट्रेक्ट व्यवस्था को खत्म करने व रोजगार की सुरक्षा व वेतन की माँग करते हुए 18 दिसम्बर से शुरू होने वाली राज्यव्यापी हड़ताल का संयुक्त नोटिस दिया। सरकार ने 16 दिसम्बर को यूनियनों के साथ बातचीत की और मिनट्स तैयार किये जिसके आधार पर एटक यूनियन ने हड़ताल वापस ले ली। तथापि, जे ए सी में रोजगार की सुरक्षा व वेतन के बारे में कुछ नहीं था और इसलिए वे अधिसूचित हड़ताल के लिए आगे बढ़े। अधिकतर जगहों पर एटक यूनियन के सदस्य भी सफल हड़ताल में शामिल हुए।

अंतत :, 22 दिसम्बर को सरकार ने जे ए सी को चर्चा के लिए बुलाया। हड़ताली यूनियनों ने रोजगार व वेतन सुरक्षा पर लिखित आश्वासन की माँग की। आखिर में यह सहमति बनी और ब्यौरे में दर्ज की गई कि ठेकेदारों द्वारा सभी मौजूदा मजदूरों को उनके वर्तमान वेतन के साथ बनाये रखा जायेगा और जब भी नई राज्य वेतन पुनर्निर्धारण समिति (पी आर सी) की सिफारिशें लागू होंगी उन्हें भी बढ़ाते हुए पुनर्निर्धारित किया जायेगा। यह भी सहमति बनी कि म्यूनिसियल कमिश्नर मुख्य नियोक्ता होंगे। तथापि, जे ए सी ने ठेका व्यवस्था के खिलाफ लड़ने और उसके विरोध का अपना अधिकार सुरक्षित रखा जिसे ब्यौरे में दर्ज किया गया जिस पर सरकार के हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के बाद हड़ताली मजदूर 23 दिसम्बर से कम पर वापिस आये।

बिजली के ठेका मजदूरों का आंदोलन : 'थर्ड पार्टी' ठेका व्यवस्था की समाप्ति; तेलंगाना की तरह बिजली निगमों द्वारा सीधे वेतन की माँग करते हुए राज्य की दो बिजली वितरक निगमों ए पी इ पी डी सी एल व ए पी एस पी डी सी एल में ठेका मजदूरों की सीटू यूनियनों ने जीप जत्थों के द्वारा राज्यव्यापी अभियान छेड़ा, एक जत्थे ने 5 जिलों को व ए पी इ पी डी सी एल क्षेत्र के सभी प्रमुख सब–स्टेशनों को कवर किया और दो जत्थों ने 10 दिनों में 4 जिलों में ए पी एस पी डी सी एल क्षेत्र को कवर किया। जत्थों को मजदूरों का अच्छा समर्थन मिला। पी इ पी डी सी एल कार्यलय के सामने 250 मजदूर व ए पी एस पी डी सी एल के सामने 2,500 मजदूर शामिल हुए।

जत्थों के बाद विजयवाड़ा में 15 नेताओं ने 20 नवम्बर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल के चौथे दिन, रात में पुलिस द्वारा हड़ताल कर रहे नेताओं को उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया; और सरकार ने आश्वासन दिया कि एक समिति गठित की जायेगी तथा अगले दो महीने के अन्दर मजदूरों की माँगों पर चर्चा की जायेगी।

सीटू के स्वतन्त्र अभियान ने अन्य सभी यूनियनों के लिए ''ज्वाईट प्लेअफार्म ऑफ ए पी इलैक्ट्रीसिटी कॉंट्रेक्ट वर्कर्स'' के तहत एक साथ आने की परिस्थितियाँ तैयार कीं। इसके बैनर तले यूनियनों ने 13 जिलों से आये 7000 मजदूरों का 'समारा भेरी' जुलूस व रैली की; 5 दिसम्बर को विजयवाड़ा में जनसभा की जिसे भाजपा व टी डी पी को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने संबोधित किया और समर्थन व्यक्त किया तथा सरकार द्वारा मुद्दों को समाधान करने की 2 महीने की सीमा के समाप्त होने पर 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस दिया।

आंगनवाड़ी कर्मियों का आंदोलन : न्यूनतम वेतन, बकाया वेतन की माँग तथा केन्द्रों के विलय का विरोध करते हुए 15,000 आंगनवाड़ी कर्मियों ने 16 अक्टूबर को परियोजना निदेशकों के कार्यालयों पर धरना दिया। राज्यव्यापी धरने आंगनवाड़ी सेंटरों को पंचायतों के साथ एकीकृत करने के विरोध में 4 दिसम्बर को धरने दिये गये जिनमें 8,812 कर्मियों को पुन : जोड़ने के लिए कमिश्नर कार्यालयों पर धरने दिये गये तथा चार दिन बाद कमिश्नरों द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि भविष्य में भर्ती में उन्हें तरजीह दी जायेगी, आंदोलन वापस लिया गया।

उद्योग व क्षेत्र

टेलीकॉम

बी. एस.एन.एल वर्कर्स–ऑफिसर्स संयुक्त आन्दोलन की राह पर

बी.एस.एन.एल. की गैर–कार्यपालक और कार्यपालक कर्मचारियों की सभी यूनियनों और एसोसिएशनों द्वारा 12–13 दिसंबर, 2017 को 2 दिनों (सीटू मजदूर जनवरी, 2018) की सफल देशव्यापी हड़ताल के बाद; बी.एस.एन.एल.ई.यू., एन.एफ.टी.ई., एस.एन.ई.ए., ए. आई.बी.एस.एन.एल.ई.ए., एफ.टी.ओ., बी.टी.ई.यू., सेवा बी.एस.एन.एल., ए.आई.जी.टी.ओ.ए., बी.एस.एन.एल.एम.एस., टी.ई.पी.यू., बी. एस.एन.एल.ए.टी.एम. और टी.ओ.ए.बी.एस.एन.एल. सहित बी.एस.एन.एल. की यूनियनों ने 8 जनवरी को नई दिल्ली में एक संयुक्त बैठक की और अपनी माँगों के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तीसरे वेतन संशोधन को जल्द करने और सहायक कंपनी बनाकर 90,000 से अधिक बी.एस.एन.एल. टावरों को निजी हाथों में सौंपने के सरकार के फैसले को वापस लेना, प्रमुख माँगें हैं।

बैठक में सभी यूनियनों और संघों के नेताओं द्वारा महात्मा गांधी को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देकर 30 जनवरी को 5 दिवसीय सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन नियमानुसार काम शुरू करने और 28 फरवरी को संसद भवन के लिए एक विषाल मार्च निकालने के संघर्ष का निर्णय लिया है।

बैठक में मंत्री से जल्द ही मिलने; सहायक टॉवर कंपनी बनाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाही करने; और समर्थन के लिए ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने; का निर्णय लिया गया। संघर्ष की निगरानी के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया।

मांग–पत्र में (i) तीसरा वेतन संशोधन 15% फिटमेंट के साथ जो 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हो; (ii) पेंशन संशोधन; (iii) दूसरे वेतन संशोधन से सम्बन्धित बकाया मुद्दों का निपटान करना; (iv) सहायक टावर कंपनी बनाने के निर्णय को वापस लेना; (v) सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 58 करके कोई कमी नहीं और (vi) कोई वीआरएस नहीं; आदि शामिल हैं।

बैठक की अध्यक्षता एफ.एन.टी.ओ. के महासचिव के. जयप्रकाश ने की। *(द्वारा: पी. अभिमन्यु)*

आधार में सेंध लगाने का भंडाफोड़ करने वाली पत्रकार के खिलाफ एफ आइ आर

पत्रकार संगठनों द्वारा देशव्यापी विरोध

8 जनवरी को एक संयुक्त बयान में, नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स व दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आधार व्यवस्था में लीक का भंडाफोड़ करने वाली ट्रिब्यून की पत्रकार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की भर्त्सना की। बयान में कहा गया कि यह प्रेस की स्वतन्त्रता पर हमला है। मीडिया व मीडियाकर्मियों पर हमले बढ़ रहे हैं।

'यू आइ डी ए आइ' की डेटा साइट तक आसानी से पहुँच तथा मात्र रू 500/ के बदले किसी को भी इसे उपलब्ध होने की बात को सामने लाने के लिए उन्हें शाबासी दी जानी चाहिये थी। व्यक्तिगत पतों, मोबाईल फोन नम्बरों, ई–मेल पतों व फोटुओं तक तुरन्त आसान पहुँच, आधार व्यवस्था में लोगों की निजता में घुसपैठ के गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं, बयान में कहा गया।

कितने ही पत्रकारों व एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्टिंग एडीटर्स एयोशिएसन, प्रेस एसोशिएसन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जम्मू प्रेस कार्पस, द नेटवर्क ऑफ वूमेन एंड मीडिया समेत देश भर में पत्रकारों के संगठनों ने सरकार के इस निरंकुश कदम की भर्त्सना की। सीटू ने भी 19 जनवरी के अपने बयान में ट्रिब्यून की रिपोर्टर व उनके स्रोतों के खिलाफ, आधार की व्यवस्था में छेद होने व लोगों के व्यक्तिगत डेटा व सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य किये गये निजता के अधिकार की हिफाजत करने में असफलता का भंडफोड़ करने पर मुकदमा दर्ज करने के लिए मोदी सरकार की भर्त्सना की।

सीटू ने भंडाफोड़ के लिए रिपोर्ट की प्रशंसा की; सरकार द्वारा बदले की कार्रवाई के तहत ऐसे कदमों के खिलाफ पत्रकारों व समाचारपत्रों के कर्मियों तथा मीडिया संगठनों के बढ़ते विरोधों का स्वागत किया और अपनी एकजुटता जाहिर की; तथा यू आई डी ए आइ से सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा संबंधित पत्रकार व अन्य के खिलाफ दर्ज एफ आई आर को वापिस लिये जाने की माँग की।

अस्वीकार्य आधार कहानी का कुछ और

आधार का व्यक्तिगत डेटा अमेरिकी सुरक्षा एजांसियों को उपलब्ध : यू पी ए के शासन में शुरू हुई आाधार व्यवस्था के साफ्टवेयर को तैयार करने में दो अमेरिकी कंपनियां शामिल थीं। इनके साथ हुई संविदा के अनुसार, इन कंपनियों को आधार के समूचे डेटा बेस तक पहुँच रखने की इजाजत है। इस प्रकार, आधार कार्ड धारकों का सारा व्यक्तिगत डेटा इन कंपनियों के पास पहले से ही उपलब्ध है, जो अमेरिकी सुरक्षा एजंसियों से जुड़ी हैं।

एअरटेल द्वारा आधार कार्ड धारकों के सब्सिडी भुगतान में गड़बड़ : एअरटेल मोबाईल फोन नेटवर्क ने अपने ग्राहकों से, सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार फोन न० को आधार से जोड़ने को जरूरी बताते हुए ऐसा करने को कहा है। ग्राहक के ऐसा करने पर, एअरटेल बिना ग्राहकों की जानकारी व मंजूरी के एअरटेल पेमेंट बैंक में उनका खाता खोल रहा है। सीधे लाभ भुगतान के अंतर्गत, सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है। वर्तमान नियमों के अंतर्गत, रसोई गैस सब्सिडी, ग्राहक के बैंक खाते में दी जाती है। इस प्रकिया में एअरटेल बैंक ने जनता के 190 करोड़ रूपये अपने पास जमा कर लिए। यह तब सामने आया जब कितने ही ग्राहकों को रसोई गैस सब्सिडी अपने नियमित खाते में नहीं मिली। तथापि, इस धोखाधड़ी की गंभीरता को कम कर एअरटेल पेमेंट बैंक को केवल निलंबन व जुर्माने के साथ बच निकलने दिया गया।

आधार का पी डी एस के साथ जुड़ना और संतोषी की मौत : झारखंड, राजस्थान व तेलंगाना जैसे राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन अब तभी मिलता है जब राशन कार्ड धारकों का कार्ड आधार से जुड़ा हो और उसका बायोमेट्रिक सत्यापन हो। लाखों राशन कार्ड धारकों को राशन से असलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि इन राशन दुकानों पर सही काम करने वाली बायोमेट्रिक पहचान साबित करने वाली मशीनें ही नहीं हैं। इसके चलते झारखंड में संतोषी नाम की बालिका भूख से मौत के मुंह में चली गई *(सीटू मजदूर, दिसम्बर, 2017)* और भी ऐसे कितने उदाहरण हो सकते हैं। *(लोकलहर, 8–14 जनवार, 2018 के संपादकीय से)*

भाजपा सरकार का चुनावों में भ्रष्टाचार का रास्ता

सी पी आइ (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी ने, अपनी पार्टी की ओर से 9 जनवरी, 2018 को केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली को लिखे पत्र में लिखा कि ''आज के समय में चुनाव लड़ना एक बिजनेस एंटरप्राइज के जैसा हो गया है, जो केवल धनी के लिए ही संभव है।''

राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट चंदे पर प्रतिबंध की माँग करते हुए, सी पी आइ (एम) ने कहा, ''कारपोरेट, विशेषकर बड़े कारपोरेट, राजनीतिक दलों को दिये चंदे को एक निवेश के रूप में देखते हैं जो नीतियों को अपने लाभ के लिए घुमाने का एक आसान व प्रभावी रास्ता है। राजनीतिक दल भी कारपोरेटों से चंदा पाने के बाद सरकारों के अपने कार्यकालों का इस्तेमाल 'दोस्ताना' कारपोरेटों को रास आने वाली नीतियाँ तैयार करने के लिए करते हैं। ये कारपोरेट भ्रष्टाचार की 'आपूर्ति साइड' हैं जो व्यवस्था को खोखला कर रही है।'' इसके बजाय, कारपोरेटों को अपने मुनाफों के एक हिस्से को चुनावी फंड के लिए अलग रखे राज्य कोष में देने के लिए कहा जाना चाहिये, पत्र में सुझाया गया। पत्र में उन तीन पूरक प्रतिगामी कदमों को रेखांकित किया गया जिन्हें वर्तमान भाजपा कदमों को रेखांकित किया गया जिन्हें वर्तमान भाजपा सरकार ने चुनावी भ्रष्टाचार के रास्ते के रूप में चुनावी चंदे के संदर्भ में उठाया है– (1) ''इसने जो किया है वह गडबड पैसे को 'चुनावी बांड रूट प्रदान करने के लिए है जिससे वह बिना कहीं दर्ज हुए' अघोषित रूप से, जनता की नजरों से छिपकर खास राजनीतिक दल के पास पहुँच जाये;'' (2) राजनीतिक चंदे के लिए उपलब्ध कंपनियों से अधिकतम सीमा को उठा लेने से उन 'शैल' कंपनियों को मंजूरी मिलेगी जिन्हें काले धन से शुद्ध रूप से राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए खड़ा किया जा रहा है। तथा (3) ''फारेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट (एफ सी आर ए) को वित्तीय विधेयक के रास्ते, पिछली तारीखों से संशोधित कर इस सरकार ने विदेशी चंदे के लिए राजनीतिक दलों की तिजैरियों को भरना संभव बनाया है, जिसने भारतीय लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए खतरे का एक और आयाम जुड़ गया है।''

''चुनावी बांड, एफ सी आर ए के संशोधन और राजनीतिक पार्टियों को कारपोरेटों द्वारा दिये जाने वाले चंदे की अधिकतम सीमा को हटा लेना, भारत में राजनीतिक चंदे के बारे में उठाये गये सबसे प्रतिगामी कदम हैं और इन्हें अवश्य ही वापस लिया जाना चाहिये, पत्र में कहा गया।''

सीटू ने एअर इंडिया में 49 प्रतिशत और खुदरा में 100 प्रतिशत एफ डी आई की निंदा की

सीटू ने 11 जनवरी को जारी एक बयान में एअर इंडिया में 49 प्रतिशत व सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत एफ डी आई को मंजूरी देने की मोदी सरकार की घोषणा की निंदा की। एअर इंडिया में 49 प्रतिशत एफ डी आइ दरअसल, इसकी विशालकाय संपत्तियों और भारी राजस्व अर्जित करने वाले इसके अंतर्राष्ट्रीय संवाओं के नेटवर्क के साथ इसके निजीकरण और पूरी तौर पर विदेशी टेक ओवर को तेज करने का रास्ता है। एअर इंडिया के भारी घाटे की सरकार की दलील सरासर झूठी है। एक के बाद एक सरकारों की नीतियां व कदम जैसे इंडियन एअरलांइस व एअर इंडिया का जल्दबाजी में किया गया विलय; तथा विदेशी कंपनियों से, बहुत ही गलत समय पर जहाजों के विशाल बेड़े की जबरन खरीद एअर इंडिया के घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद एअर इंडिया, पिछले 3 वर्षो में ऑपरेशनल प्रोफिट की स्थिति में रही है।

मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है क्योंकि निजीकरण व विदेशी टेक ओवर सरकार का लक्ष्य है, जिसे उसने संबंधित संसदीय स्थायी समिति की कम से कम 3 वर्ष तक एअर इंडिया का निजीकरण न करने व उसमें सुधार के उसकी मदद करने की सर्वसम्मत सिफारिशो को, जिसमें भाजपा सांसद भी हैं, को पूरी तरह नजरंदाज कर साधा हुआ है।

सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सरकार का फैसला भी उतना ही निदंनीय है जो परंपरागत खुदरा क्षेत्र को बुरी तरह व गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला यह क्षेत्र तेजी से होते निगमीकरण के चलते पहले से मुश्किलों में फंसा हुआ है, बयान में कहा गया।

सीटू ने मजदूर वर्ग से, सर्व व सैक्टोरल संयुक्त संघर्षो के माध्यम से मोदी सरकार के ऐसे फैसलों के खिलाफ देशव्यापी प्रतिरोध खड़ा करने का आह्वान किया है।

vkS|ksfxd Jfedksa ds fy, mi;qDr ewY; lwpdkad vk/kkj o"kZ 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkbZ

jkT;	dsUnz	vDVwcj 2017	uoEcj 2017
vkU/kz izns'k	xqUVwj	281	282
	gnjkckn	252	253
	fo'kk[kkiÙkue	285	288
	okjaxy	289	292
vle	MeMek fruklqf[k;k	269	267
	xqokgkVh	253	254
	ycd flYpj	261	261
	efj;kuh tkjgkV	249	249
	jxkbikjk rstiqj	246	248
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	308	306
p.Mhx<	p.Mhx<	283	281
NÙkhlx<	fHkykbZ	316	315
fnYyh	fnYyh	262	264
Xkksvk	xksvk	274	297
Xkqtjkr	vgenkckn	269	273
	Hkkouxj	275	269
	jktdksV	264	275
	lwjr	268	266
	oMksnjk	259	270
gfj;k.kk	Qjhnkckn	275	263
	;euk uxj	258	277
fgekpy	fgekpy çns'k	265	260
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	284	268
>kj[k.M	ckdkjk	305	284
	fxfjMhg	335	312
	te'kniqj	313	338
	>fj;k	329	314
	dksMek	328	332
	jkph gfV;k	296	331
dukVd	cyxke	290	288
	cxykj	304	307
	gcyh /kkjokM	300	305
	ejdjk	298	301
	eSlwj	297	298
djy	,.kkdqye@vyoZ	304	304
	eq.MkD;ke	328	331
	fDoyku	281	285
e/; çns'k	Hkksiky	297	296
	fNUnokM+k	261	263
	bUnkSj	283	285
	tcyiqj	295	295
egjk"V	eEcbZ	317	317
	ukxiqj	295	295
	ukfld	278	279
	iq.kZ	296	301
	'kksykiqj	304	307
mMhlk	vkxzk&rkyqdk	310	315
	jkmjdqyk	305	311
ikfMpfj	ikfMpfj	287	285
iatkc	vejfj	288	289
	tkyU/kj	278	279
	yf/k;kuk	263	263
jktLFkku	vtesj	278	282
	HkhyokM+k	274	273
	t;iqj	266	270
rfeyukMq	pUuS	272	272
	dksbZEcVwj	286	286
	dUuwj	287	279
	enqjkbZ	273	296
	lqyye	295	286
	fr#fpjkiYyh	298	279
f=iqjk	f=iqjk	266	296
mÙkj çns'k	vkxjk	312	269
	xkft;kckn	283	311
	dkuiqj	292	292
	y[kuÅ	277	279
	okjk.klh	285	285
if'pe cxky	vklulksy	306	308
	nkftfyax	266	265
	nxkiqj	313	315
	gfYn;k	316	317
	gkoM+k	274	276
	tkyikbZxqM+h	283	284
	dksydkrk	256	273
	jkuhxat	271	259
	flyhxqM+h		274
vf[ky Hkkjrh; lwpdkad		287	288

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्क:** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेल: citubtr@gmail.com
  फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

परियोजना मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल

17 जनवरी, 2018

केरल में

पलक्कड़

तिरूवनंतपुरम

डी सी आइ के निजीकरण के खिलाफ

विशाखापट्टनम में जनसभा

कोच्चि में धरना

मतदान करते लोग

(रिपोर्ट पृ० 12)

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 5/02/2018)

परियोजना मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल

17 जनवरी, 2018

छत्तीसगढ़

हरियाणा

दिल्ली

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : **के हेमलता**

(रिपोट पृ० 6)

असम

गुजरात

आंध्रप्रदेश

महाराष्ट्र

पंजाब

कोलकाता

नोएडा (एन सी आर)

नई दिल्ली

अमृतसर, पंजाब

गुवाहाटी, असम

रोपड़ , पंजाब